

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 सितम्बर 2020—भाद्र 17, शक 1942

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2020

फा. क्र. 56-वि.निर्वा.-3-2018-66.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचना सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है :—

1. No. 429/MP/2020(1) dated 08th September, 2020
2. संख्या 429/म.प्र./2020(1) दिनांक 08 सितम्बर, 2020

अरूण कुमार तोमर, सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110001

New Delhi, dated 08th September, 2020—17 Bhadrapada, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429-MP-2020(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13B of Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification No. 429/MP/2011(1) dated 16th September, 2011, as amended from time to time, relating to the appointment of Electoral Registration Officer of Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh;

2. In Column (2) of the table appended to the said Notification, in place of existing entries against the name of Assembly Constituency mentioned below shall be substituted with the following entries:—

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Electoral Registration Officer (2)
175-Mandhata	Sub Divisional Officer (Revenue) Punasa

By order,

Sd./-

(SUMAN KUMAR DAS)

Secretary,

Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001

नई दिल्ली, दिनांक 08 सितम्बर, 2020—17 भाद्रपद, 1942 (शक)

अधिसूचना

संख्या 429-म.प्र.-2020(1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 (ख) की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित, अपनी अधिसूचना संख्या 429/म.प्र./2011(1), दिनांक 16 सितम्बर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है;

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (2)
175-मांधाता	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुनासा

आदेश से,

हस्ता./-

(सुमन कुमार दास)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.